विभाग के दायित्व

1. संविधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्र के हितों के संरक्षण व संवर्धन के लिये प्रहरी (वाचडाग) के रूप में कार्य करना ।
2. अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु योजनाऐं / एवं नीति निर्धारण तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
3. अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासी बाहुल क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण कराने हेतु आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एंवं अनुश्रवण करना ।
4. अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक/सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
5. संदेहास्पद जनजाति प्रमाण पत्र की जांच करना ।
6. विशेष पिछडी जनजाति समूह के विकास हेतु नीति निर्धारण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन ।
7. आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति से संबंधित अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन ।
8. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
9. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास हेतु योजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन करना ।
10. विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का नियोजन एवं अनुश्रवण ।
11. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं अनुश्रवण ।
12. आदिवासियों में तकनीकी एवं गुणात्मक शिक्षा का विकास
13. आदिवासियों की सामाजिक सुरक्षा एवं शोषण से बचाव
14. आदिवासियों की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ।
15. आदिवासी उपयोजना की राशि के संबंध में नोडल विभाग के रूप में अन्य विकास विभागों से समन्वय ।
16. आदिवासियों का हित संरक्षण ।